निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 40/2024
दायरा दिनांक :– 31.05.2024
निर्णय दिनांक :– 11/12/2024

उनवान

1. बाबूलाल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री रामभरोस जाति माली निवासी थामली तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी थामली तहसील बारां जिला बारां राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 11/12/24

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड़0 – प्रार्थीगण
2. श्री रितेश भारद्वाज एड0 – अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212, राज0 टी0 एक्ट अप्रार्थी गण द्वारा इस आशय का पेश किया गया है। कि वाके ग्राम बडा पटवार हल्का बडां तह0 बारां में जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 अनुसार खाता नं0 नया 332 पुराना 327 से खसरा नं0 2038 रकबा 0.39 हे0, खसरा नं0 2039 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2061 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 2060 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2082 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 2083 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 2164 रकबा 1.08 हे0, खसरा नं0 2165 रकबा 0.81 हे0, खसरा नं0 2173 रकबा 1.06 हे0, खसरा नं0 2408/2071 रकबा 0.49 हे0, कुल किता 10 कुल रकबा 6.63 हे0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 संयुक्त की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 11/25 व अप्रार्थी क्रम 1 का 1/5 तथा जगन्नाथी बाई का 1/10 हिस्सा, महेन्द्र कुमार का 1/10 हिस्सा व रामस्वरुप बाई का 4/25 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जमाबन्दी सं0 2038–2057 अनुसार विवादित आराजी के पुराने/साबिक खसरा नं0 841 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1659 रकबा 0.62 हे0, खसरा नं0 2038 रकबा 0.39 हे0, खसरा नं0 2039 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2051 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 2058 रकबा 0.32 हे0, खसरा नं0 2059 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 2060 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2071 रकबा 0.86 हे0, खसरा नं0 2082 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 2083 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं02164 रकबा 1.08 हे0, खसरा नं0 2165 रकबा 0.81 हे0, खसरा नं0 2173 रकबा 1.63 हे0, कुल किता 14 कुल रकबा 7.99 हे0 थी। जो प्रार्थी के पिता भरोस्या वल्द जीवन के 1/2 हिस्सा तथा मोत्या अमरा पिसरान मांग्या, कान्हा उण्दा पि0 नेनगा के संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित थी। प्रार्थी के दादा व पिता के जीवन काल में ही खातेदारान के मध्य मौखिक रुप से पारिवारिक विभाजन हो गया था एवं प्रार्थी के दादा के हिस्से में जमीन मिली, जिनके खसरा नं0 2038

उपखण्ड अधिकारी
बारां

कवा 0.99 हे0, खसरा नं0 2039 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2051 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 2082 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 2083 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 2164 रकबा 1.08 हे0, खसरा नं0 2173 रकबा 1.06 हे0 है। जिन पर प्रार्थी के दादा उनके बाद पिता व वर्तमान में प्रार्थी निरन्तर व निर्बाध रुप से काबिज काश्त है। अन्य आराजियात अन्य सहखातेदारान के हिस्से की थी जिनमें से सभी ने अन्य को अपने हिस्से व कब्जे की आराजियात का बैचान कर दिया है। वादग्रस्त आराजियात में राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का हिस्सा 11/25 गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का हिस्सा पूर्वजों के समय से ही 1/2 दर्ज रहा है तथा सम्पूर्ण आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। इनके अनुसार ही प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात जो वर्तमान में प्रार्थी के अधिपत्य में बतायी है, जो प्रार्थी अपनी खातेदारी की घोषणा करवाकर पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से व अधिपत्य की आराजी खसरा नं0 2082, 2083 जबरन कब्जा करने एवं बेचान करने की धमकी देने लगा है एवं इस निमित्त बाहर से लोगो ले जाकर प्रार्थी की जमीन को दिखाता है उन्है बेचान करने की कहता है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर झगडा करने एवं जबरन जमीन का बेचान करने की धमकी देता हैं। तथा झगडा करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजियात का कोई नम्बर पृथक से अप्रार्थी के खातेदारी मे नही है एवं आराजियात के विभाजन नही होने तक प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक भू–भाग पर संयुक्त एवं अधिपत्य है। जिसके किसी विशिष्ट भाग को रहन बैचान करने का अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। दिनांक 26.05.2024 को एवं इससे पूर्व अप्रार्थी ने आराजी खसरा नं0 2082, 2083 को जबरन कब्जा करने व बैचान करने की प्रार्थी को धमकी दी एवं अन्य लोगो को ले जाकर जमीन दिखाई एवं बैचान करने की बात कर रहा है। प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी, प्रार्थी से लडाई झगडा कराने पर आमादा हुआ ओर धमकी दी कि इस जमीन को बेच कर रहूगा तथा ऐसे व्यक्ति को बेचूगा जो लठ्ठ के दम पर जबरन कब्जा हासिल कर लेगा। जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्व अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थी अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी का अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रुप में संभव नही हो सकेगी। प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्व है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पत्र कर निवदेन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थी को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जावें कि विवादित आराजियात वर्णित मद् नं0 1 प्रार्थना पत्र को या उसके किसी भू भाग को की रहन, बय, दान, बन्धक न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधी/स्वजनों से करावे तथा प्रार्थी/वादी मौके पर खसरा नं0 2038 रकबा 0.99 हे0, खसरा नं0 2039 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2051 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 2082 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 2083 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 2164 रकबा 1.08 हे0, खसरा नं0 2173 रकबा 1.06 हे0, पर काबिज है, पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी का जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडां सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 332 पुराना 327, खसरा नं0 2038, 2039, 2051, 2060, 2082, 2083, 2164, 2165, 2173, 2408/2070, एवं नकल जमाबन्दी ग्राम बडां सम्वत 2038–57 खाता संख्या नया 281 पुराना 275, पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि वाके ग्राम बडा पटवार हल्का बडां तह0 बारां में जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 अनुसार खाता नं0 नया 332 पुराना 327 से खसरा नं0 2038, 2039, 2061, 2060, 2082, 2083, 2164, 2165, 2173 2408/2071, स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्राथी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 संयुक्त की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 11/25 व अप्रार्थी क्रम 1 का 1/5 तथा जगन्नाथी बाई का 1/10 हिस्सा, महेन्द्र कुमार का 1/10 हिस्सा व रामस्वरुप बाई का 4/25 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जमाबन्दी सं0 2038–2057 अनुसार विवादित आराजी के पुराने/साबिक खसरा नं0 841, 1659, 2038, 2039, 2051, 2058, 2059, 2060, 2071, 2082, 2083, 2164, 2165, व 2173 कुल किता 14 कुल रकबा 7.99 हे0 थी। जो प्रार्थी के पिता भरोस्या वल्द जीवन के 1/2 हिस्सा तथा मोत्या अमरा पिसरान मांग्या, कान्हा उण्दा पि0 नेनगा के संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित थी। प्रार्थी के दादा व पिता के जीवन काल में ही खातेदारान के मध्य मौखिक रुप से पारिवारिक विभाजन हो गया था एवं प्रार्थी के दादा के हिस्से में जमीन मिली, जिनके खसरा नं0 2038 रकबा 0.99 हे0, खसरा नं0 2039 रकबा 0.67 हे0, खसरा नं0 2051 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 2082 रकबा 0.21 हे0, खसरा नं0 2083 रकबा 0.92 हे0, खसरा नं0 2164 रकबा 1.08 हे0, खसरा नं0 2173 रकबा 1.06 हे0 है। जिन पर प्रार्थी के दादा उनके बाद पिता व वर्तमान में प्रार्थी निरन्तर व निर्बाध रुप से काबिज काश्त है। अन्य आराजियात अन्य सहखातेदारान के हिस्से की थी जिनमें से सभी ने अन्य को अपने हिस्से व कब्जे की आराजियात का बैचान कर दिया है। वादग्रस्त आराजियात में राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का हिस्सा 11/25 गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का हिस्सा पूर्वजों के समय से ही 1/2 दर्ज रहा है। तथा सम्पूर्ण आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। इनके अनुसार ही प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात जो वर्तमान में प्रार्थी के अधिपत्य में बतायी है, जो प्रार्थी अपनी खातेदारी की घोषणा करवाकर पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादग्रस्त आराजियात का कोई नम्बर पृथक से अप्रार्थी के खातेदारी मे नही है एवं आराजियात के विभाजन नही होने तक प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक भू–भाग पर संयुक्त एवं अधिपत्य है। जिसके किसी विशिष्ट भाग को रहन बैचान करने का अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। दिनांक 26.05.2024 को अप्रार्थी ने आराजी खसरा नं0 2082, 2083 को जबरन कब्जा करने व बैचान करने की प्रार्थी को धमकी दी एवं बैचान करने की बात कर रहा है। जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्व अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थी अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थी का अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रुप में संभव नही हो सकेगी प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ता फैसला वाद अप्रार्थी को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जावें कि विवादित आराजियात वर्णित मद् नं0 1 प्रार्थना पत्र को या उसके किसी भू भाग को की रहन, बय, दान, बन्धक न तो स्वयं करे न अपने प्रतिहनधी/स्वजनों से करावे तथा प्रार्थी मौके पर खसरा नं0 2038, खसरा नं0 2039, खसरा नं0 2051, खसरा नं0 2082, खसरा नं0 2083, खसरा नं0 2164, खसरा नं0 2173, पर काबिज है, पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे। उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करें, ऐसा न स्वयं करे ना अपने प्रतिनिधी/स्वजनों से करावें।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रतिपक्षी क्रम 1 शांतिपूर्वक तरीके से अपने हिस्से की आराजी 1/5 पर वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नही किया गया। अपितु सत्यता यह है। कि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी से उक्त आराजी के बटवारें हेतु निवेदन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 1 के साथ लडाई झगडा करना शुरु कर दिया। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा उक्त आराजी का बेचान दिनांक 14.06.2024 को अंकिश सुमन पुत्र सुरेशचन्द सुमन जाति माली को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य पूर्व में ज्ञात होने से बावजूद भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकिश सुमन पुत्र सुरेशचन्द सुमन को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा स्वयं के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बेचान विधिवत रुप से अंकिश सुमन को किया गया है। जिसके उपरान्त नामान्तरण संख्या 2414 दिनांक 08.07.2024 को अंकिश सुमन को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया गया। प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सहखातेदार होने से अपने हिस्से की आराजी विधिक रुप से बैचान करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 स्वयं के स्वामित्व एवं अधिपत्य के बताकर घोषणा चाही गई है। उक्त समस्त आराजियात सभी सहखातेदारान के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में होने से एवं पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक मौखिक बंटवारा नही होने के कारण रिकार्ड अनुसार सभी सहखोदारान अपने हिस्से की आराजी के खातेदार एवं काश्तकार है। कि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा अपने हिस्से की आराजियात का बैचान अंकिश सुमन पुत्र सुरेशचन्द सुमन को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2024 को किये जाने की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी परन्तु उसने जानबुझकर अंकिश सुमन को दावा हाजा में पक्षकार नही बनाया जाकर प्रतिपक्षी क्रम 1 जो कि अक उक्त संयुक्त खाते में बतौर खातेदार की हैसियत से अंकित नही है। जो गलत रुप से पक्षकार बनाया है। इसलिये प्रार्थना पत्र में पक्षकरों के असंयोजन कुसंयोजन का दोष होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रतिपक्षी क्रम 1 से किसी प्ररि का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। के प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा अपने हिस्से की आराजी का विधिवत बैचान कर दिये जाने के उपरान्त क्रेता अंकिश सुमन का नाम राजस्व रिकार्ड में जर्ये नामान्तरण क्रमांक 2415 से अमल दरामद हो चुका है। प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित नही है न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है।

4. प्रथम दृष्टया – प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित नही है। क्योकि अप्रार्थी द्वारा विधिक रुप से जर्ये रजि0 विक्रय पत्र से अपना हिस्सा अंकिश सुमन को बैचान कर दिया गया है। जिसका नामान्तरण क्रमांक 2415 से अमल दरामद हो चुका है। विवादित आराजी में अप्रार्थी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार नही होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है।
5. सुविधा का सन्तुलन – वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी खातेदार नही होने से प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अपूर्णनीय क्षति – प्रार्थी द्वारा विवादित आराजियात पर अप्रार्थी के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उसके हिस्से की भुमि का बैचान विधिक रुप से श्री अंकिश सुमन को कर दिया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सहखातेदार नही हैं ना ही कब्जा काश्त कर रहा है। प्रार्थी को जानकारी होने के बाद भी क्रेता को पक्षकार भी नही बनाया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संम्भावना नही है प्रार्थी को स्थगन आदेश की आवश्कता प्रतीत नही होती है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां